CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दायभाग

टीकाकार
वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी

T 354

इन्स्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलासफी
वृन्दावन ।
१९६६

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रकाशक :

इन्स्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलासफी

वृन्दावन (मथुरा)

मुद्रक :—

बैजनाथ दानी

लोक साहित्य प्रेस, मथुरा

दूरभाष संख्या २९४

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पति या श्वसुर ने स्त्री धन नदिया हो। यदि स्त्री धन दिया जा चुका है तो दत्ते त्वर्ध प्रकल्पयेत् = दें देनें पर आधा दिया जाय।

विशेष:---

१ यहां अर्ध शब्द समविभाग के वचन के लिये नहीं अपितु पूर्व दत्त आधिवेदनिक के समजितना हो उतना है।

विभाग सन्देह होंने पर निर्णय—

विभाग निह्नवे ज्ञाति बन्धु साक्ष्यभिलेखितैः
विभाग भावना ज्ञेया गृह क्षेत्रैश्च यौतकैः।१४।

अन्वय:---

विभाग निह्नवे ज्ञाति बन्धु साक्ष्यभि लेखितै विभाग भावना ज्ञेया यौतकैः गृह क्षेत्रैश्च ।।

अर्थ:--विभाग निह्नवे=विभाग छिपने पर, ज्ञाति--जाति बन्धुः--पितृ बन्धु मातृ बन्धु, साक्षी, लेखितैः--विभाग पत्र से विभाग भावना--विभाग निर्णय, ज्ञेया--जानना चाहिये। यौतकैः--पृथक् कृत, गृह क्षेत्रैश्च--खेती आदि कार्य यज्ञादि धर्म स्वतन्त्रता से किये जा सकते है।

विशेष----

१ जब तक बंटवारा न हो तब तक धर्म एक है विभक्त हो जाने पर धर्म--श्राद्धादि भी पृथक् २ करने चाहिये।

साक्षित्वंप्राप्ति भाव्यं च दानं ग्रहण मेव च
विभक्ता भ्रातरः कुर्युर्नाविभक्ताः कथंचन ।।

[ना० २।१।३]

—*—

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

SRI RUPA GOSVAMI'S

BHAKTI—RASAMRTA—SINDHUH

Text in Devnagari script, translitteration of the Slokas, and English translation of the Text with Three Commentaries.

By

Tridandi Swami Bhakti Hridaya Bon Maharaj.

Rector,

Institute of Oriental Philosophy, Vrindaban (U.P.)

Price : Rs. 32.00

शीघ्र प्रकाशित हो रही हैं:—

दाय भाग टीकाकार की अन्य कृतियां

१. महा कवि सोमनाथ

२. वृक्षारोपण

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

5354
CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

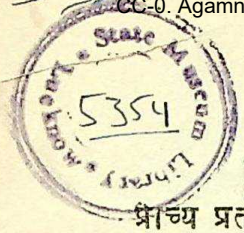

शुभ सम्मति

प्राच्य प्रतीच्य विद्याविशारद श्री टीकम सिंह
तोमर एम. ए. अध्यक्ष—संस्कृत—हिन्दी
बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा

अभी तक मुझे दाय भाग की कोई ऐसी टीका दृष्टिगोचर नहीं हुई जो सर्वात्मना परीक्षार्थियों एवं मननार्थियों को उपयुक्त हो। दाय भाग की व्याख्या की आवश्यकता इसलिये और भी अधिक थी कि यह भाग अत्यधिक कठिन है। मिताक्षरा के ज्ञान के बिना यह प्रकरण लिखा नहीं जा सकता। मिताक्षरा के जानने के लिये—व्याकरण मीमांसा एवं धर्म शास्त्र के ज्ञान की अपेक्षा है।

सौभाग्य से इन विषयों के अतिरिक्त भी अन्य शास्त्रों के भी मर्मज्ञवर के प्रसिद्ध विद्वान्, एवं संस्कृत के उद्भट कविवर श्री वासु-देव कृष्ण तुर्वेदी अध्यक्ष संस्कृत विभाग, इन्स्टीटयूट आफ ओरियन्टल फिनासकी वृन्दावन द्वारा इसकी व्याख्या लिखी गई हैं। जिससे दाय भाग के पाठकों एवं छात्रों को अत्यधिक लाभ होगा।

मैं आशा करता हूँ कि यह विश्व विद्यालयों में सम्बन्धित पत्रों में शीघ्र ही स्थान प्राप्त करेगी।

लेखक का श्रम सराहनीय है

टीकम सिंह तोमर

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

याज्ञवल्क्य स्मृति

दाय भाग

[हिन्दी टीका सहित]

टीकाकार

स्व० श्री श्रीवर शास्त्रि चतुर्वेद सूनु,

आचार्य वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदो एम० ए० [सं० हि०]

नव्य व्याकरण-पुराण-इतिहास,-धर्म शास्त्र-सांख्य योग

साहित्य -वल्लभ वेदान्ताचार्य ३ खं०

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग

इन्स्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलासफी वृन्दावन

भूमिका

डा० हरिदत्त शास्त्री, एम० ए० एकादशतीर्थ

अध्यक्ष संस्कृत विभाग

डी. ए. वी. कालेज कानपुर

प्रकाशक

इन्स्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलासफी

वृन्दावन

Rs 2 P 50

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

समर्पणम्

श्री १००८ श्री: मन्मध्व गौडेश्वराचार्य
श्रीमद्भक्तिहृदयवनमहाराजानां करकमलेषु सादरम्

वन्द्य श्री भक्तिहृदयवनोपाह्व महर्षये
वासुदेव: स्वीयटीकां प्रश्रयेण समार्पिपत् ।

वासुदेव कृष्ण: ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

आसव

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डा० हरिदत्त शास्त्री एम० ए० पी० एच० डी

संस्कृत वाङ्मय में स्मृतियों का अपना विशिष्ट स्थान है, भारतीय शासन व्यवस्था में, प्रत्यक्ष परोक्ष किसी न किसी रूप में ये अब भी सहायक हैं।

याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रणयन याज्ञ वल्क्य महर्षि ने किया यह सर्व विदित है। इस स्मृति पर मिताक्षरा टीका की सर्वाधिक प्रसिद्धि है। इसके प्रणेता विज्ञानेश्वर एवं अन्य कतिपय व्याख्याकारों का परिचय यहाँ देना उचित ही होगा।

विज्ञानेश्वर

इनके पिता का नाम पद्मनाभ भट्ट था। इनका जन्म स्थान कल्याण पुर (हैदराबाद) था। विज्ञानेश्वर परमहंस उत्तम के शिष्य थे, विक्रमादित्य देव या विक्रमार्क के ये समकालीन थे क्यों कि इन्होंने उनका उल्लेख-अपनी टीका के आरम्भ में किया है—

नासीदस्ति भविष्यति क्षिति तले कल्याण कल्प पुरम्
नो दृष्टः श्रुत एव वा क्षिति पतिः श्री विक्रमार्कोपमः
विज्ञानेश्वर पण्डितो न भजते किं चान्यदन्यो पम—
श्चाकल्पं स्थिर मस्तु कल्प लतिका कल्प तदेतत्त्रयम्॥

विज्ञानेश्वर लिखता है कि कल्याण पुर के समान अन्य कोई नगर तो है और न 'होगा, औरन विक्रमार्क की उपमा वाला अन्य कोई विद्वज्जनप्रिय राजा ही है। इतना ही नहीं वह सुन्दर वक्ता एवं विद्वानों के आश्चर्य की सीमाभी है—

स्रष्टा वाचां मधुर वपुषां विद्वदा श्चर्य सीम्नां
दातार्थानामतिशयजुषामर्थिसार्थार्थनीया
आच प्राचः समुद्रान्नत नृपति शिरोरत्न भा भा सुराङ्घ्रिः
पायादाचन्द्र तारं जगदिदमखिलं विक्रमादित्य देवः॥

इनकी सप्रसिद्ध कृति—'मिताक्षरा'— याज्ञवल्क्य स्मृति की

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

टीका है। नाम से ही ज्ञात होता है कि यह एक संक्षिप्त विवरण वाली रचना है, पूर्व मीमांसा के अनेक गूढ विषयों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि ये पूर्व मीमांसा के पूर्ण ज्ञाता थे। धर्मशास्त्र साहित्य में इसका अनुपम स्थान हैं, पतञ्जलि कृत महाभाष्य, मम्मट कृत काव्य प्रकाश, शङ्कर कृत भाष्य का जो सम्मान है वही मिताक्षरा का है।

मिताक्षरा के विषय परिशीलन से ज्ञात होता है कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व के मतों का सार ग्रहण करके अपनी बुद्धि के ढांचे में ऐसा ढाला जिसमे अनेक सिद्धान्तों का विकास हुआ। यह ग्रन्थ न केवल याज्ञ वल्क्य स्मृतिका एक भाष्य मात्र है अपितु यह एक स्मृति सम्बन्धी निबन्ध है। मिताक्षरा में—प्रसहाय–विश्व रूप, मेंधातिथि, श्रीकर, भारुवि, तथा भाजदेव का नामोल्लेख है। पाणिनि—प्राभाकर का नाम भी प्राप्त होता है।

देवण्ण भट्ट की स्मृति चन्द्रिका जिसकी रचना लग-भग १२०० ई० है, ने मिताक्षरा के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है, लक्ष्मी धर के कल्पतरु में विज्ञानेश्वर का नाम है इस ग्रन्थ की रचना १२ वीं. शताब्दी के मध्य मानी गई है। विश्वरूप मेंधातिथि धारेश्वर के नाम मिताक्षरा में हैं अतः यह १०५० के पश्चात तथा १२ई० के पूर्व लगभग ११२० की रचना मानी जा सकती है

१०७०—११०० ई० के मध्य अन्य प्रमाणों के अनुसार मा जाता है। विज्ञानेश्वर के अनेक भाष्य हुए जितमें विश्वेश्वर—पण्डित एवं बालम्भट्ट के नाम अति प्रसिद्ध हैं।

विश्वेश्वर भट्ट—द्रविड़ देश के निवासी थे। आधुनिक कानून की बनारसी शाखा के विश्वेश्वर भट्ट एक नामी प्रा लेखक माने जाते हैं। याज्ञ वल्क्य की मिताक्षरापर इन्होंने सु नामक टीका लिखी है—इसके अतिरिक्त इन्होंने–तिथिनि स्मृति कौमुदी, स्मृति महार्णव, मदन पारि जात नामक ग्रन्थ

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

थे। इनके आश्रय दाता—मदनपाल राजा थे।

नन्द पण्डित

ये दक्षिण के मूल निवासी थे, पश्चात् बनारस में आकर रहे थे। इन्होंने सहारन पुर के सहगिल कुल के परमानन्द के आग्रहपर--श्राद्ध कल्पलता का महेन्द्र कुल के हरिवंश वर्मा के आग्रहपर स्मृति सिन्धु, का एवं मधुरा के केशब नायक के आग्रहपर बैजयन्ती का प्रणयन किया।

पराशर स्मृति पर—विद्वन्मनोहरा, तथा मिताक्षरा पर एक भाष्य लिखा जिसे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा कहते है। कहीं कहीं मिताक्षरा का खण्डन भी किया है। दत्तक मीमांसा के कारण इनकी अत्यधिक प्रसिद्धि हुई। इनका रचना काल १५९१ से १६३० ई पर्यन्त माना जाता है।

बाल म्भट्टी

बालकृष्ण का ग्रन्थ ही बालम्भट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका काल १७३०–एवं १८२० ई के मध्य कहा जा सकता है। कतिपय विद्वान् इन्हें वैद्यनाथ पायगुण्डे (जो नागेश भट्ट के प्रसिद्ध शिष्य थे) का पुत्र मानते हैं, पर अभी पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं बालं-भट्टी मिताक्षरा पर भाष्य है, किंवदन्ती है कि इसका प्रणयन लक्ष्मी देवी ने किया। कुछ विद्वान् बालकृष्ण की माता का नाम लक्ष्मी तथा वैद्यनाथ की रचना मानते हैं अतः इस विषय में अभी अधिक नहीं लिखा जा सकता।

अपरादित्य याअपरार्क—

याज्ञ वल्क्य की विस्तृतटीका है, मिताक्षरा से इसका

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आकार अधिक बड़ा है, ये जीमूत वाहन कुल में उत्पन्न राजाशिलाहार अपरादित्य कहे जाते हैं। समय १०.—१२०० ई० के मध्य।

शूलपाणि—

ने याज्ञ वल्क्य स्मृति पर दीपकलिका नामक टीका लिखी है इनका समय १३१५—१४४० ई० ३० माना जाता है। साहु डियाल ब्राह्मणों में इन्हें माना जाता है, इनकी दायभाग कृति में विभिन्न ग्रन्थ कारों के नाम उपलब्ध होते है।

कुल्लूक भट्ट—

मनु स्मृति की प्रसिद्ध टीका मन्वर्थ मुक्तावली के रचयिता कुल्लूक भट्ट हैं, इनका भाष्य संक्षिप्त, स्पष्ट एवं उद्देश्य पूर्ण कहा जा सकता है। पूर्व व्याख्या कारों का कहीं कही उल्लेख करते हुए उनकी कटु आलो चना भी की है। ये बंगाल के वारेन्द्र कुल में नन्दन निवासी भट्ट दिवाकर के पुत्र कहे जाते है। परिडतों की सन्निधि में यह भाष्य वाराणसी में लिखा गया है जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट है।

गौडे नन्दन वासिनाम्नि सुजनै र्वन्द्य वरेन्द्र्यां कुले
श्री मद्भट्ट दिवाकरस्य तनयः कुल्लूक भट्टोऽभवत्
काश्यामुत्तर वाहि जन्हु तनया तीरे समं परिडतै—
स्तेनेयं क्रियते हिताय विदुषां मन्वर्थ मुक्तावली ।।

मनु सर्वज्ञ हैं मैं अल्पज्ञ, तथापि अन्य टीका कारों के प्रसंग से टीका लिखने का साहस कर रहा हूँ।

सर्व ज्ञस्य मनो रसर्वविदपि व्याख्यामि यद्वाङ्मयं
युतया तद्वहुभिर्यतो मुनिवरैरेतद्वहुव्याहृतम्
तां व्याख्यामधुनातनैरपिकृतां न्याय्यां ब्रुवाणस्यमे

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भक्तया मानव वाङ्मये भवभिदे भूयादशेषेश्वरः ॥

ट का कार सब शस्त्रों का ज्ञाता था—

मीमाँसे बहु सेवितासि सुहृदस्तर्काः समस्ताः स्थमे
वेदान्ताः परमात्मबोध गुरवो यूयं मयोपासिताः
जाता व्याकरणानि बालसखिता युष्मामिरस्मर्थये
प्राप्तोऽयं समयो मनूक्त विवृतौ साहाय्यमालम्ब्यताम् ॥
मानव वृतावस्यां ज्ञे या व्याख्या नवा मयोद्भिन्ना
प्राचीनाः अपिरुचिरा व्याख्यातृणामशेषाणाम् ॥

गोविन्द राजा

१०५०—११६० ई० के मध्य

इनके पिता का नाम माधव था। य गंगा किनारे के रहने वाले थे। बनारस के राज्य की तुलना कुछ लोग इन से करते थे उसका पी. वी. काने महोदय ने खण्डन किया है, क्यों कि राजा क्षत्रिय थे। और गौविन्द राज ब्राह्मण।

दाय भाग की विषय वस्तु—दाय की परिभाषा, पूर्वजों की सम्पति पर पिता का प्रभाव या स्वत्व पिता या पिता भट्ट की सम्पति का विभाजन, पिता की मृत्यु के उपरान्त भाइयों में बंटवारा, स्त्री धन की परिभाषा, श्रेणी करण एवं निक्षेपण, असमर्थता के कारण दाय एवं बटवारे से कौन लोग पृथक् किये जा सकते हैं, पुत्र हीन के अधिकार की विधि, गुप्त धन प्राप्त होने पर रिक्थाधि कारियों में बंट वारा विभाजन प्रकाशन।

मिताक्षरा दाय भाग से अनेक वैमत्य जीमूत वाहन कृत दायभाग में उपलब्ध हैं। दायभाग में पैतृकसम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार नहीं हैं।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विज्ञानेश्वर की देन—

विज्ञानेश्वर ने दाय को अप्रतिबन्ध तथा सप्रतिबन्ध नामक २ भागों में बाँटा है तथा बल पूर्वक कहा है कि पुत्र पौत्र एवं प्रपौत्र वसीयत पर अधिकार जन्म से ही पाते हैं, जीमूत वाहन के मतों के सर्व था विरोध में है।

इनके शिष्य का नाम नारायण था, मिताक्षरा में विभाजन के ४ अवसर बताये गये हैं किन्तु नारायण ने केवल २ अवसरों की चर्चा की है। पिता की इच्छा, तथा पुत्र या पुत्रों की इच्छा

तथा पिता की इच्छा पर उसमें और पुत्रों में विभाजन हो सकता है। पति के अधिकार पर विधवाका अधिकार हो जाता है चाहें पतिका भाई के साथ संयुक्त धन ही क्यों न हो, रिक्थाधिकार मृत व्यक्ति को पिण्ड दान करने पर निर्भर करता है जीमूत वाहन का दायभाग, बंगाल में अत्यधिक सम्मान प्राप्त कर चुका है इनका समय १०९०—११३० के मध्य माना जाता है।

मिताक्षरा की जी मूत वाहन ने आलोचना की है कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं।

याज्ञवल्क्य स्मृति का समस्त भारत वर्ष के न्यायलयों में आज भी सम्मान बना हुआ है यह इसके सर्वाधिक वैशिष्ट्य का द्योतक है।

यह तो निर्विवाद है कि इनस्मृतियों में धर्म का निवेचन हुआ है। धर्म एक एसा शब्द है जिसकी परिभाषा करना बड़ा कठिन है। वेद में धर्मन् शब्द का प्रयोग विशेषण या सज्ञा के रूप में आया है धर्मन् शब्द, धृ धातु से बना है। जिसका तात्पर्य है धारण करना आलम्बन देना, पालन करना, ऋग्वेद में यह शब्द पुल्लिग तथा नपुसक लिंग दोनों में ही व्यवहृत है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

१ अथर्व वेद में, धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म शब्द सकल धार्मिक कर्तव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। २ छान्दोग्य के अनुसार धर्म त्रिविध है, (१) यज्ञ-दान, अध्ययन। (२) तपस्या अर्थात् तापस धर्म (३) ब्रह्मचर्य। यह धर्म शब्द आश्रमओं के विलक्षण कर्तव्यों की ओर संकेतित हैं। धर्म शब्द का अर्थ समय समय पर परिवर्तित भी होता रहा है। सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु ने वर्णधर्म–आश्रम धर्म-वर्णाश्रम धर्म नैमित्तिक धर्म-गुण धर्म माने हैं।

याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारों ने भी धर्म के इस विकसित रूप का विवेचन किया है। याज्ञवल्क्य की टीकाओं में विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का सर्वत्र सम्मान है।

विभिन्न परीक्षाओं में यह ग्रन्थ निर्धारित हैं, इसस्मृतिका उपयोगी अंश दाय भाग है, बंगाल के भाग के अतिरिक्त अन्यत्र भारतीय व्यवहार में इस मिताक्षरा का अत्यधिक आदर है।

याज्ञ वल्क्य वैदिक ऋषि परंपरा में हैं। मिताक्षरा कार का कथन है कि याज्ञ वल्क्य के किसी शिष्य ने धर्म शास्त्र को संक्षिप्त करके कथनोपकथन के रूप में रखा है। याज्ञ वल्क्य स्मृति में १००६ श्लोक है। यह स्मृति मनुस्मृति से कलेवर में सूक्ष्म है। मनुस्मृति में २७०१ श्लोक है। यह स्मृति अनुष्टुप् छन्द में लिखी गई है। मिताक्षरा कार ने याज्ञ वल्क्य की प्रतिभा का समुज्ज्वल रूप ही प्रदर्शित किया है, दाय भाग में –

बंटवारा–इसका समय, विभाजन में स्त्री भाग, पिता मृत्यु के बाद बँटवारा, विभाजन योग्य सम्पत्ति, पिता पुत्र का संयुक्त स्वामित्व बारह प्रकार के पुत्र, शूद्रका अनौरस पुत्र, पुत्र हीन पिता के

१–अथ-९।९।१७
२-ऐत-ब्रा: ७।१७

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

लिये उत्तराधिकार, पुनर्मिलन, व्यावर्तन, स्त्रीधन पर पतिका अधिकार आदि का सुन्दर निरूपण है।

मिताक्षरा पर विश्वेश्वर, नन्द पण्डित एवं बालम्भट्ट की व्याख्यायें इसके महत्त्व की परिचायक हैं।

विद्वानों का ध्यान इस ओर आना स्वाभाविक है एसे समय बहुश्रुत पण्डित श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी द्वारा इस अंश की हिन्दी टीका अभिनन्दनीय प्रयास है। इस ग्रन्थ में उन्होंने पौराणिक तत्त्वों की विवेचना बड़ी युक्ति, और मार्मिकता के साथ की है। अर्थ के साथ मिताक्षरा का सार भी प्रत्येक श्लोक के अन्त में दिया गया है जो अध्येताओं को अत्यन्त उपयोगी है। प्रयास देखने से—सिद्ध होता है कि—

दुर्बोधंयदतीव तद्विजहति स्पष्टार्थ मित्युक्तिभिः
यच्चातीव सुबोधमस्ति तदहो व्याख्या पथंटीकते ।।

इस प्रसिद्ध प्राचीन उक्ति की यह व्याख्या प्रत्युदाहरण स्वरूप है। कहने की आवश्यकता नहीं अपने गुणों के कारण इस व्याख्या का सर्वत्र आदर औ प्रचार होगा। एसी अभिनव व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण कहना ही पड़ता है कि

चतुर्वेद वासुदेव कृष्ण एम. ए, उपाधिभाक्
विदुषां मथछात्राणां धन्य वादस्य भाजनम् ।।

अध्यक्ष संस्कृत विभाग हरिदत्त शास्त्री
डी० ए० वी० कालेज, कानपुर

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दो शब्द

श्री १०८ श्री श्रीवर शास्त्रि गुरु चरण कमले भ्यो नमः

वाचक वृन्द

याज्ञ वल्क्य स्मृति के दाय भाग का भारतवर्ष के अधिकांश भाग में सम्मान है, भारतीय सांविधान इसी स्मृति की मिताक्षरा टीका का अवलम्बन लेकर कतिपय गम्भीर विवादों का समाधान करता है, आंग्ल शासकों ने भारतीय विवाह—दत्तकाधिकार आदि के 'कानून, बहुधा इसी के आधार पर बनाये थे।

दाय भाग में यद्यपि श्लोक संख्या ३४ है तथापि मिताक्षरा कार का अभिप्राय लग-भग ४० पृष्ठों में पूर्ण हुआ है। मिताक्षरा की भाषा प्रौढ़ एवं धर्म शास्त्रों के गहन मर्मों से परिपूर्ण है। धर्म शास्त्रा चार्य परीक्षा में प्रविष्ट होते समय मेरा ध्यान इस ओर गया, परन्तु उस समय यह कार्य पूर्ण न हुआ, गत वर्ष एम० ए० प्रथम वर्ष (सं० के छात्रों ने जब धर्म शास्त्र का प्रश्न पत्र लिया तब उनकी कठिनाई का ध्यान रखकर इसकी हिन्दी टीका करने का विचार किया, यह उसी विचार का पल्लवित रूप है।

यद्यपि यह हिन्दी टीका कई मास पूर्व लिखी जा चुकी थी तथापि मुद्रण सम्बन्धी अव्यवस्था ने इसे अभी तक रोके रखा।

अकस्मात् श्री स्वामी जी महाराज ने इसे छात्रों की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रोत्साहित किया यह उन्हीं की कृपा का फल है जो इतनी शीघ्र प्रकाशित हो रही है।

इस साहाय्य के लिये मैं स्वामी जी से किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करूं नहीं जानता।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

'मिताक्षरा सहित दाय भाग प्रकाशित करने का विचार था परन्तु कतिपय मुद्रण सम्बन्धी अव्यवस्थाओं के कारण वह पूर्ण नहीं हो पाया ।

भूमिका लेखक डा० हरिदत्त जी शास्त्री से निवेदन करने के लिये मेरे पास मार्मिक शब्द नहीं हैं, उनकी असीम कृपा को व्यक्त भी कैसे करूँ समझ में नहीं आता ।

अन्त में मैं प्रेस के अध्यक्ष श्री बैजनाथ जी दानी एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देकर विद्वानों से निवेदन करूंगा कि इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो वह मेरी समझें, जो ग्राह्य अंश अच्छा बन गया हो मेरे गुरु जनों का आशीर्वाद समझ कर पढ़ें व मुझे उचित परामर्श दें मैं उनका आभारी रहूँगा ।

विदुषां वशंवदः

गतश्रम टीला
मथुरा

वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी

रंगभरी एकादशी सम्वत् २०२२

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दाय भाग

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दाय विभाग

दाय शब्द से जो धन स्वामि सम्बन्ध से ही निमित्त बनकर अन्य का स्व होता है वह २ प्रकार का है—

१—अप्रति बन्ध

२—सप्रति बन्ध

पुत्र या पौत्र के सम्बन्ध से जो पिता या पितामह का धन अपना होता है वह अप्रतिबन्ध [बिना रुकावट] है।

यदि चाचा आदि निः सन्तान हैं या स्वामी का अभाव है वह 'स्व, सप्रतिबन्ध होता है।

विभाग—

द्रव्य समुदाय विषयक अनेक स्वामियों की सम्पत्ति को एक देश में व्य वस्थित करने को विभाग कहते हैं

दाय भाग का लक्षण—

वि भागो ऽ र्थस्य पित्र्यस्य तनयै र्यत्र कल्प्यते
दाय भाग इति प्रोक्तं व्यवहार पदं बुधैः ।।

स्वत्व—शास्त्रैक समधिगम्य है या लौकिक है यह विवाद पूर्ण है परन्तु गौतम का कथन है कि यह शास्त्रैक समधि गम्य है—

स्वामी रिक्थ क्रय संविभाग परिग्रहा धिगमेषु, ब्राह मण स्याधिकं लब्धं 'क्षत्रियस्य विजितं' निर्विष्टं वैश्य–शूद्रयोः ।

लौकिक—अर्थ क्रिया साधन होने से लौकिक है।

यदि केवल शास्त्रैक समधि गम्य स्वत्व मान लिया जाय तो अन्यायोपार्जित द्रव्य, असत्प्रति ग्रह लब्ध द्रव्य स्वत्व कभी न हो सकेगा और न शास्त्र उसके विभाजन की ही आज्ञा देगा, परन्तु लोक इसे कब

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

स्वीकार करेगा। केवल लौकिक मानने से शास्त्र व्यर्थ पड़ता है अतः दोंनो को लक्ष्य में रखकर चलने से ही सिद्धिसम्भव है।

स्वत्व पर—जन्म से ही अधिकार यदि माना जाय तो पिता आवश्यक कार्य भी नहीं कर सकेगा।

तथा—जिन वस्तुओं का विभाजन नहीं है उनपर भी जन्म मात्र से जातक का अधिकार रहेगा—फलतः

शौर्य भार्या धने चो भे यच्च विद्या धनं भवेतू
त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादोयश्च पैतृकः ।।
शौर्य—भार्या—विद्या—ये ३ धनअविभाज्य हैं

तथा पैतृक प्रसाद भी परन्तु जन्म ग्रहण से क्या पिता की शूरता या विद्या का विभाजन हो सकेगा।

मणि मुक्ता के स्वामी पिता पुत्र दोंनों ही होते है।

अतः स्वत्व (अधिकार) जन्म से नहीं अपितु स्वामि नाश से या बिभाग से ही सम्भव है।

[विशेष मिताक्षरा देखिये]

———

दाय विभाग

विभाग की प्रकिया—

विभागं चेत्पिता कुर्या दिच्छ या विभजेत्सुतान् ।
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठं भागेन सर्वेवास्युः समांशिन ।।१।।

अन्वयः—चेत् पिता विभागं कुर्यात् इच्छया सुतान् विभजेत्
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठ भागेन वा सर्वे समांशिनः स्युः ।।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चेत्=जब पिता विभाग करे, इच्छया=इच्छा पूर्व, सुतान्=पुत्रों को विभजेत्=पृथक् कर दे। ज्येष्ठं वा श्रेष्ठ भागेन बड़े लड़के को श्रेष्ठ भाग से, वा सर्वे समांशिनः स्युः=अथवा सब पुत्रों को समान अंश दे।

विशेषः—

[ज्येष्ठं=ज्येष्ठ को ज्येष्ठ भाग, मध्यम को मध्यम, कनिष्ठ को कनिष्ठ भाग दिया जाय यह तात्पर्य है]

मनु का कथन भी इसमें सम्मत है कि बड़े पुत्र को अधिक दिया जाय—

"ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः"

नारद का कथन है—विभाजन—पिता तथा माता की मृत्यु के उपरान्त होवे। यदि पिता अधर्मी हो अथवा रोग ग्रस्त हो माता रजोधर्म युक्त होती हो तब भी पुत्रों की इच्छा से विभाग हो जाता है।

पिता की ईच्छा से २ प्रकार का विभाग दिखाया एक सम दूसरा विषम सम विभाग में विशेष द्रष्टव्य—

यदि कुर्यात् समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः
न दत्तं स्त्रो धनं यासाँ भर्त्रा वा श्वशुरेण वा ॥२॥

अन्वयः—यदि [पिता] समानंशान् कुर्यात् पत्न्यः समांशिकाः कार्या यासां भर्ता वा श्वशुरेण वा स्त्री धनं न दत्तम्। यदि=जब पिता सब, लड़कों को, समानंशान् कुर्यात्=सम विभाजन करता है तो पत्न्यः=पत्नियों का समांशिकाः कार्याः=अंश भी पुत्रों के समान करना चाहिये। यासां=जिन पत्नियों को भर्त्रा वा श्वशुरेण,=पति-या श्वशुर ने, स्त्री धनं न दत्तम्=स्त्री धन न दिया हो।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

१. यदि स्त्री धन दिया गया हो तो पत्नि का अंश होगा

२. पत्न्यः—में बहुवचन है अतः सौतेली माता का भी अधिकार है ।

३. यदि ज्येष्ठ को श्रेष्ठ भाग दिया गया हो तो पत्नि का श्रेष्ठादि भाग में अंश न होगा ।

४. स्त्री धन के विषय में आपस्तम्ब का भी कथन है—

परीभांड च गृहे ऽलंकारो भार्यायाः

(धः २।१४।६)

ज्येष्ठं वा श्रेष्ठ भागेन का अपवाद—

शक्तस्यानीह मानस्य किंचिद्दत्वा पृथक् क्रिया
न्यूनाधिक विभक्तानां धर्म्यः पितृ कृतः स्मृतः ॥३॥

अन्वयः—शक्तस्य अनीहमानस्य किंचित् दत्वा पृथक् क्रिया न्यूनाधिक विभक्तानां धर्म्यः पितृ कृतः स्मृतः । शक्तस्य=जो स्वयमेव द्रव्य अर्जन करने में समर्थ है, तथा अनीहमानस्य=पितृ द्रव्य में से अंश नहीं चाहता, उसे भी किंचिद्दत्वा=सार शून्य वस्तु भी देकर पृथक् क्रिया—विभाग करना चाहिये–[जिससे उसके लड़कों को विभाजन में स्पृहान रहे]

न्यूनाधिक विभक्तानां=अल्प तथा अधिक अंश का विभाजन धर्म्यः=धर्म शास्त्रोक्त क्रम से किया गया–पितृ कृतः स्मृतः=पितृ कृत विभाजन अपरि वर्ति नीय होगा ।

विशेषः—

१–विभाजन मान्य वही है जो शास्त्र पूर्वकहो

२–यदि रोग ग्रस्त पिता है, कुपित या विषयासक्त वा शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण करता हैं तो विभाजन उचित नहीं

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

माना जायगा ।

कहाभी है—व्याधितः कुपितश्चैव विषयासक्त मानसः
अन्यथा शास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ।
[नारदः १३।६]

विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्ध्वं रिक्थं ऋणं समम्
मातुर्दुहितरः शेषमृणात् ताभ्य ऋतेऽन्वयः ।।४।।

अन्वयः—

पित्रो रूर्ध्वं सुताः समम् रिक्थम् ऋणं विभजेरन्, ऋणात् शेषं भातु र्दुहितरः ताभ्य ऋते अन्वयः ।

पित्रोरूर्ध्वं=माता पिता के मरने के बाद, सुताः=पुत्र समम्=समान रूप से रिक्थम्=धन, ऋणं=ऋण को विभजेरन्=बांट लें । ऋणात् शेषं=मातृकृत ऋण चुकाकर मातुः=माता का द्रव्य—दुहितर=लड़की बांट लें, ताभ्य ऋते=लड़कियों के अभाव में, अन्वयः=पुत्रादि सन्तति ले ।

विशेषः—

१—मनु ने ज्येष्ठ का अधिक अंश लिखा था यहां समान है

२—विषम विभाग शास्त्रीय होने पर भी लोक दृष्टि में मान्य न होता अतः

अस्वर्ग्यं लोक विद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेन्नतु

आ० १५६ आप स्तंब

वाक्य का समाधान भी इसमें किया गया है

३—स्त्री धन दुहितृ गामी होता है क्योंकि दुहिता में माता का शारीरिक अंश भी तो अधिक होता है ।

४—गौतम ने कन्याओं के भी २ विभाग किये हैं प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, इनमें प्रथम अधिकार निर्धन का है । अविवाहिता का सर्व प्रथम अधिकार है ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अविभाज्य धन

पितृ द्रव्याबिरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम्
मैत्रमौद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत् ।।५।।

अन्वय सरल है—

पितृ द्रव्य अविरोधेन=माता पिता के द्रव्य का बिना विनाश किये, यदन्यत् स्वय मर्जितम्=जो धन स्वयं पैदा किया है मैत्रं=मित्र से प्राप्त, औद्वाहिकं=विवाह में प्राप्त, दायादानां=भाइयों का, न तद्भवेत्=नहीं होता ।

विशेषः—

१—पितृ द्रव्याविरोधेन का अन्वय प्रत्येक के साथ लगाना चाहिये ।

क्रमादभ्यागतं द्रव्यं तद्धभप्युद्धरेत्तु यः ।
दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विद्यया लब्धमेव च ।।६।।

क्रमादभ्यागतं द्रव्यम्=पितृ परम्परा से प्राप्त द्रव्य, हृतमपि=कोई लेकर निषेध करता हो उसे, यः उद्धरेत्तु=उससे निकलवाये विद्यया लब्ध मेवच=विद्या से प्राप्त किया धन दायादेभ्यो=भाइयों को, नदद्यात्=नहीं दिया जा सकता ।

विशेषः—

१—क्षेत्र में चतुर्थांश उद्धर्ता का शेष सब भाइयों का समान होगा

२—अविरोध का आशय है कि पिता के विरोध से प्राप्त किया प्रतिग्रहभी सम विभाज्य होगा ।

३—मनुने भी इसे स्वीकार किया है—

अनुपघ्नन् पितृ द्रव्यं श्रमेण यदु पार्जितम्
दायादेभ्यो न तद्दद्याद्विद्यया लब्ध मेव च ।।

मनुः ९। २०८

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अपवादः—

सामान्यार्थं समुत्थाने विभागस्तूडयमः स्मृतः
अनेकपितृकाणां तु पितृतो भाग कल्पना ।।७।।

अन्वय सरल है—

सामान्यार्थ सभुत्थाने—अविभक्त भाइयों का, कृषि वाणिज्य आदिसे अर्जितधन एकत्रित हो चाहें उसे एक ने ही अधिक बढ़ाया हो।

विभागस्तु समः स्मृतः—सम विभाग होगा। अर्जित करने वाले के २ अंश नहीं, (पितामह के धन का विभाग—

अनेक पितृकाणां तु = पितामह के द्रव्य में भी, पितृतः = पिता द्वारा ही— मात्र कल्पना=विभाजन उचित होगा।

१ - एक पिता के - नाती अनेक हैं तो वे अपनी संख्या के कारण अंश के अधिकारी नहीं अपितु वे पिता के अंश के ही अधिकारी हैं।

२—पितामह के समक्ष ही-पिता की मृत्यु हो जाय तव भी पौत्रों का पितामह के द्रव्य पर अधिकार होगा।

पिता द्वारा विभाजन निम्न वस्तुओं में ग्राहय नहीं—

अन्वयः—

भूर्या पिता महोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च
तत्र स्यात् सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ।।८।।

पितामहोपात्ता या भू : निबन्धः वा द्रव्यमेव
तत्र पितु : पुत्रस्य चैव हि सदृशं स्वाम्यं स्यात्।

पितामहोपाता—पितामह द्वारा अधिकृत, या भूः - जो क्षेत्र
निबन्ध = एक पर्व भरक के इतने पर्व, एक क्रमुक फल भरक के इतने फल, इत्यादि लक्षण युक्त। द्रव्यं = सुवर्ण रजतादि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

तत्र = उसमें पितुः पुत्रस्य च स्वाम्यं = पिता एवं पुत्र का स्वामित्व समान होगा।

१—इससे यह सिद्ध है कि पितामह के द्वारा अर्जित उन वस्तुओं में न तो पिता की इच्छा से विभाग है, न पिता के २ भाग।

२—विभागं चेत् पिता कुर्यात् — इससे भी विरोध नहीं है क्योंकि यह नियम स्वार्जित के लिये है।

विभाग के पश्चात् उत्पन्न पुत्र का विभाग कैसे हो ?

विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्
दृश्याद्वा तद्वि भागः स्यादायव्यय विशोधितात् ॥९॥

अन्वयः—

विभक्तेषु सवर्णायां जातः सुतः विभाग भाक्
दृश्यात् आय व्यय विशोधितात् वा तद्वि भागः स्यात् ॥

विभक्त हो जाने पर सवर्ण में उत्पन्न पुत्र अपने अंश ग्रहण का अधिकारी है।

पिता के मरने पर भाइयों के विभक्तहोंने पर—उत्पन्न का अधिकार—दृश्याद्वा = भाईयों द्वारा लब्ध धन से, आयः—प्रति दिवस, प्रति मास, प्रातृब्द जो आय है उसमें से, व्ययः—पितृकृत ऋण दूर कर जो शुद्ध धन हो उसमें से भाग प्राप्त करने का अधिकारी है।

१—विभाग के पश्चात् उत्पन्न—पिता के धन का अधिकारी है।

२—गर्भ स्पष्ट हो पिता मर गया हो तो प्रसव काल की प्रतीक्षा करके विभाजन होना चाहिये।

पितृभ्यां यस्य यद्दत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्
पितुरूर्ध्वं विभजतां माता ऽप्यंशसमं हरेत् ॥१०॥

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्वय-सरल है—

पितृभ्याँ = माता पिता ने, पूर्व विभक्त पुत्रों में किसी को यद्दत्तं = जो कुछ अलंकारादि दिया, हो तत्तस्यैवधनं भवेत्-वह उसी का धन होगा।

पिता के मरण पश्चात् विभाग में माता काभी अंश है—

पितुरूर्ध्वं विभजतां = पिता के ऊर्ध्वलोक जाने के पश्चात् माताप्यंश समं हरेत् = माता भी समान अंश ग्रहण करे।

१—यदि स्त्री धन प्राप्त न हो तभी समान अंश है अथवा "दत्ते त्वर्धांशहारिणी" अर्ध अंश की अधिकारिणी है।

पिता के मरजाने पर असंस्कृत भाई हैं तो उनके संस्कार की व्यवस्था—

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वं संस्कृतैः
भगिन्यश्च निजादंशाद्दत्त्वांशंतु तुरीयकम् ।११।

अन्वयः—

असंस्कृतास्तु पूर्वं संस्कृतैः भ्रातृभिः संस्कार्या
भगिन्यश्च निजादंशात् तुरीयकम् अंश दत्वा

[संस्कार्या]

पिता के पश्चात् विभक्त होने वाले भाइयों को = पूर्व संस्कृतैः = जिनका पहिले संस्कार हो चुका है, असंस्कृताः = असंस्कृत भाइयों का संस्कार्या = संस्कार करना चाहिये। भगिन्यश्च = बहिनों को भी, यदि उनका संस्कार नहीं हुआ है तो संस्कार कराना चाहिये निजादंशात् तुरीयकम् दत्वा—अपने अंश से चतुर्थ भाग निकाल कर

विशेषः—

१—कन्या ब्राह्मणी है तो ब्राह्मण भाई का अंश ¼ लेगी

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

२–१ ब्राह्मणी पत्नी, १ कन्या १ पुत्र है तो पिता के धन के $\frac{१}{२}$ भाग करके १ भाग के $\frac{१}{४}$ भाग करके चतुर्थांश भाग कन्या को देकर शेष को पुत्र ले

३–यदि १ पुत्र २ कन्या हैं तो पितृधन को $\frac{१}{३}$ करके १ भाग को $\frac{१}{४}$ भाग करके चतुर्थांश दे ।

४–यदि ब्राह्मणी पुत्र १ क्षत्रिय कन्या १ तव $\frac{१}{३}$ भाग करके क्षत्रिया पुत्र भाग को $\frac{४}{३}$ विभाग करके चतुर्थांश क्षत्रिया को दे शेष को ब्राह्मणी पुत्र ले ।

५–यदि २ ब्राह्मणी पुत्र—१ क्षत्रिय कन्या तव $\frac{१}{११}$ ३ अंशों को क्षत्रिया पुत्र भाग को ४ में बांटे चतुर्थांश क्षत्रिया कन्या के दे शेष को ब्राह्मणी पुत्र बांट लें ।

६–जीवित पिता कुछ भाग कन्या को दे वही उसका है ।

पूर्व निर्णय समान जातीय भाइयों के सम्बन्ध में है अब भिन्न जातीय भ्राताओं का विभाग लिखा जाता है—

चतुस्त्रिद्येक भागाः स्युर्वर्णशो ब्राह्मणात्मजाः
क्षत्राजास्त्रिद्येक भागा विड्जास्तु द्येक भागिनः।१२।

अन्वयः—

ब्राह्मणात्मजाः वर्णशः चतुः त्रि द्वि एक भागास्यः
क्षत्रजा स्त्रि द्वि एक भागा, विडजास्तु द्वि एक भागिनः।

ब्राह्मणादि वर्ग की स्त्रियों की सन्तति का विभाजन ब्राह्मणात्मजाः वर्णशः—वर्ण वर्ण में ब्राह्मण से उत्पन्न यथा क्रम, ४, २. २, १ भाग प्राप्त करें ।

ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न एक-एक—४-४ भाग ले
ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय में उत्पन्न, प्रत्येक—३,३ भाग लें

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

,, ,, वैश्या में उत्पन्न प्रत्येक–२–२ भाग लें

,, ,, शूद्रा में उत्पन्न प्रत्येक–१–१ भाग लें

ब्राह्मण चारों वर्ण की पत्नी रख सकता है, क्षत्रिय, ३ वर्ण की वैश्य २ वर्ण की शूद्र एक ही ।

१—ब्राह्मण से उत्पन्न क्षत्रियादि वर्ण की पत्नी में उत्पन्न सुत को भूमि प्राप्ति का अधिकार नहीं है यदि पिता दे भी दे तो उसकी मृत्यु के पश्चात् उनसे वापिस लेने का ब्राह्मणी पुत्र को अधिकार है ।

सर्व विभाग शेष व्यवस्था—

अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्यते
तत्पुनस्ते समैरंशैर्विभजेरन्निति स्थितिः ॥१३॥

अन्वय सरल है ।

अन्योन्यापहृतं द्रव्यं=सबका मिश्रित धन परस्पर हरण किया गया भी—विभक्ते०=विभक्त हो जाने पर दिखाई दे जाय, तत्पुनस्ते समैरंशैः—तो उसे फिर से समान अंशों के द्वारा, विभजेरन् इतिस्थितिः=बांट ले यह शास्त्र मर्यादा है ।

विशेषः—

१—जिस पर वह धन दिखाई दे उसे भाग न दिया जाय

२—समुदाय में स्थित द्रव्य का अपहरण दोष जनक नहीं

३—मनु के मतानुसार ज्येष्ठ यदि अपहरण करे तो दोष भागी है कनिष्ठ नहीं ।

(मनु०९। २१३)

४—साधारण द्रव्य जिसमें निज अधिकार भी है ग्रहण करने में दोष नहीं ।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दयामुष्यायण का भाग—

अपुत्रेण पर क्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः
उभयो रप्यसौ रिक्थी पिण्ड दाता चधर्मतः ॥४॥

अन्वय सरल—है

अपुत्रेण=देवर आदि ने, पर क्षेत्रे=पर भार्या में नियोगोत्पादितः सुतः=गुरु नियोग से उत्पन्न किया पुत्र उभयोरपि रिक्थी बीजि क्षेत्री इन दोंनो का धन लेंने व पिण्ड दान करने में समर्थ है

१—जो देवरादि नियुक्त किया गया हो वह अपुत्र हो

२—यदि नियोग कर्ता सपुत्र है जो सन्तति क्षेत्री की होगी बीजी की नही।

३—मनु के अनुसार—'नियोग, देवर–सपिण्ड ही कर सकता है।

४—विधवा में नियोग विधि वर्जित है

५—बड़े भ्राता की मृत्यु के पश्चात्, यदि बागदान हो चुका है तो छोटा भाई उस स्त्री का पतिबन सकता है।

मुख्य--गौण पुत्रों की दाय ग्रहण व्यवस्था—

औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिका सुतः
क्षेत्राजः क्षेत्राजातास्तु सगोत्रेणेतरेण वा ।१५।

अन्वय सरल—

औरसो धर्म पत्नीजः—सवर्ण विवाहिता में उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है, तत्समः पुत्रिका सुतः—उसके समान लड़की का लड़का भों है, क्षेत्राजः०—इतर सपिण्ड या देवर से क्षेत्राजात तु--क्षेत्र में उत्पन्न, पुत्र क्षेत्रज कहलाता है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

विशेषः—

१ पुत्रिका सुत--विवाह के समय वचन पूर्वक दी गई कन्या कि इसमें उत्पन्न पुत्र मेरा होगा पुत्रिका सुत कहलाता है।

गूढ़ज--कानीन पुत्रों की परिभाषा—

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः।
कानीनः कन्यका जातो मातामह सुतो मतः ।१६।

गूढजस्तु सुतः गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नः–गूढज पुत्र वह कहलाता है जो पति के घर में ही हीनाधिक जाति के पुरुष से उत्पन्न हुआ हो।

कानीन०–कन्य का में उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है यह नाना का पुत्र कहलाता है।

१-मनु ने भी कहा है—

पितृ वेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्य ासमुद्भवम् ।।

पौन र्भव--दत्तक की परिभाषा—

अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः
दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत् ।।

अन्वय सरल—

अक्षतायां०—अक्षत या क्षत—पनर्भू स्त्री में सवर्ण से उत्पन्न पुत्र पौनर्भव कहलाता है। दद्यान्माता पिता वायं—जिसे माता पति की आज्ञा लेकर पति की मृत्यु के पश्चात् या दोंनों जिसे दे वें वह पुत्र दत्तक कहलाता है।

विशेषः—

१—आपत्ति में पुत्र दिया जाय यह मनुका मत है

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(६।१६८)

२—एक पुत्र के देने का निषेध है। अर्थात् जिसके कई लड़के हों तो वह एक लड़का दे दें। किसी का मत है कि ज्येष्ठ पुत्र किसी को न दे।

क्रीत-कृत्रिम दत्तात्मा-सहोढज का लक्षण=

क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात् स्वयंकृतः
दत्तात्मातु स्वयंदत्ता गर्भे बिन्नः सहोढजः ॥१८॥

ताभ्यां विक्रीतः—माता पिता ने जिसे बेच दिया हो वह क्रीतः=क्रीत कहलाता है। कृत्रिमः स्यात् स्वयंकृतः=धन लोभ आदि से स्वयं जिसे पुत्र बनाया जाय वह कृत्रिम कहलाता है। दत्तात्मातु स्वयंदत्तः=जिस माता पिता ने छोड़ दिया हो, अथवा उनसे विहीन हो कर मैं तुम्हारा पुत्र हूँ ऐसे स्वयं दत्त त्व प्राप्त करे वह दत्तात्मा कहलाता है।

सहोढजः—गर्भ वती स्त्री को विवाह कर लाये, उससे उत्पन्न पुत्र सहोढज कहलाता है।

उत्सृष्ट—अपविद्ध का लक्षण—

उत्सृष्टोगृ हयते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः।

उत्सृष्टः=माता पिता के द्वारा त्यागे गये को, गृहचते=जो गृहण करता है, सोऽपविद्धो भवेत्सुतः=वह अपविद्ध कहलाता है

दाय ग्रहण में क्रम—

पिण्डदो ऽशहर श्चैषां पूर्वाभावे परः, परः।१८।
ऐषां पूर्वाभ वे परः परः पिण्डदः अंश हरश्च ॥

एषां=पूर्वोक्त द्वादश पुत्रों में पूर्व पूर्व के अभाव में पर पर पिण्ड दान एवं अंश ग्रहण का अधिकारी है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

विशेषः—

१—ओरस पुत्र उत्पन्न होने पर सवर्ण अन्य पुत्रों को चतुर्थांश दिया जाय

२—असवर्ण पुत्रों को वस्त्र तथा भोजनादि मात्र। यह का त्यायन कामत है।

३—औरस—क्षेत्रज—दत्त—कृत्रिम—गूढोत्पन्न—अपविद्ध—ये छः दाया द हैं

४—कानीन—सहोढ—क्रीत—पौन र्भव—स्वयंदत्त शौद्र ६ अदा याद बन्धु हैं।

[मनु ६।१५६।१६०]

सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मयाविधिः

यह विधि सजातीय तनयों के वारे में कही गई है।

१—पूर्वा भावे परः-परः यह सजातीय विषयक है।

२—शूद्रा पुत्र औरस होतो भी अन्याभाव में भी भाग पाने का अधिकारी नहीं।

शूद्र धन भाग में विशेष—

जातोऽपिदास्यां शूद्रेण कामतोंऽशहरोभवेत् ।१९।
मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातर स्त्वर्धं भागिकम्
अभ्रातृ को हरेत्सवं दुहितृणां सुताहते ।।२०

अन्वयः—

शूद्रेण दास्यां जातः कामतः अंशहरः भवेत्। शूद्र से दासी में उत्पन्न पुत्र, कामतः=पिता की इच्छा से—भाग प्राप्त कर सकता है। मृते पितरि=पिता के मरने पर भाई दासी पुत्र को अर्ध भागी बनाये :

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अभ्रातृको हरेत्सर्वं=यदि अन्य भाई नहीं तो, दासी पुत्र समग्त धन का अधिकारी है, (परन्तु) दुहितृणां सुताद्दते=परिणीत कन्या और उनके पुत्र नहीं तभी यह अधिकार अन्य होगा।

मुख्य गौण पुत्रों के अभाव में दाय क्रम

पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस्तथा
तत्सुता गोत्रजा बन्धु शिष्य स ब्रह्मचारिणः।२१।
एषाममा वे पूर्वस्य धन भागुत्तरोत्तरः
स्वर्यातस्य ह्य पुत्रस्य सर्व वर्ण ष्वयं विधिः।२२

अन्वय सरल—

द्वादश विध पुत्रों के अभाव में–पत्नी–लड़की,-माता—पिता, भाई, उनके पुत्र, उनके अभाव में गोत्रज, बान्धव, शिष्य, स ब्रह्म चारी एषाम भावे—पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर धन भागी हैं। स्वर्यातस्य ह्य पुत्रस्य—अपुत्र यदि स्वर्ग चला गया है तो यह विधि सर्व जनोपयोगी है।

वानप्रस्थ यति ब्रह्म चारिणां रिक्थ भांगिनः
क्रमेणाचार्य सच्छिष्य धर्म भ्रात्रेक तीर्थिनः।।

वानप्रस्थ–यति ब्रह्म चारियों का क्रमेण=प्रति लोभ क्रम से धर्म भ्राता या एक तीर्थ—शिष्य–आचार्य ग्रहण करें।

विशेषः—

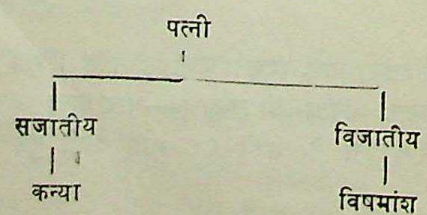

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

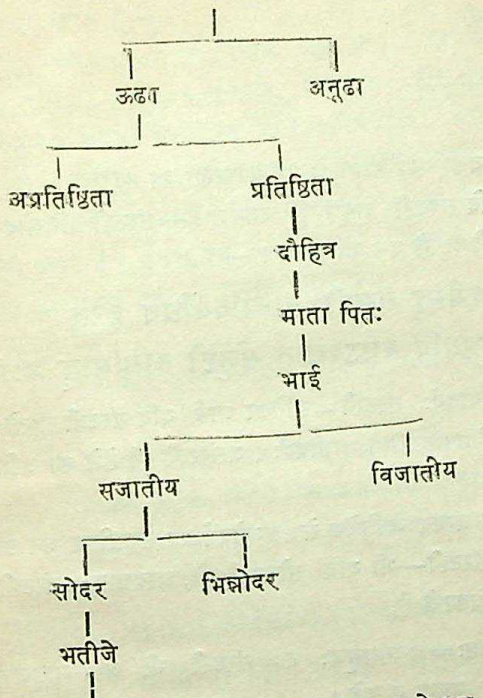

दादी = दादा—चाचा चाचा के पुत्र

गोत्रज— [७ पीडी तक के पुरुषों का अधिकार

बान्धव— [१ आत्म बन्धु—भूआ मौसी मामा के पुत्र
२ पितृ बन्धु—पिता की मौसी भूआ मामा के पुत्र
३ मातृ बन्धु—माता की मौसी भूआ मामा के पुत्र

आचार्य—शिष्य

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सहाध्यायी

|

श्रोत्रिय ब्राह्मण

|

सबका दाय राजा ले पर ब्राह्मणों का नहीं ।

यदि संस्टष्टी अपुत्र ही स्वर्गत है—संस्टष्टी भिन्नोदर है, सोदर असंस्टष्टी है तो धन की व्यवस्था—

अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्योधनं हरेत्
असंसृष्टयपि वाऽऽदद्यात् सँसृष्टो नान्यमातृ जः ।२४

अन्योदर्यः संस्टष्टी=सौतेला भाई यदि संस्टष्ठी है तो धन भाग् होगा । (असंस्टष्टी) अन्योदर्यः । असंस्टष्टी सौ तेले का अधिकार न होगा ।

इस अन्वय व्यतिरेक से अन्योदर्य का संस्टष्टित्व धन ग्रहण में कारण है असंस्टष्टी—भी यदि सोदर है तो, आदद्यात्=संस्टष्टी भी धन लेने का अधिकारी है,

संस्टष्टः=अन्यमातृजः न=संस्टष्टी भी अन्य मातृज एवं संसृष्टी से धन को ग्रहण न करे ।

विशेषः—

असंसृष्ट सोदर तथा संस्टष्ट भि न्नोदर इनका विभाग करके ग्रहण करना चाहिये ।

धन ग्रहण कारण, एक-एक दोनों में है ।

अपवाद—

क्लीबोऽथ पतितस्तज्जः पङ्गुरुन्मत्तको जडः
अन्धो ऽचिकित्स्य रोगाद्याभर्तव्याः स्युर्निरँशकाः।२५

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अन्वय सरल है—

क्लीव = नपुंसक, पतितः—ब्रह्म हत्यादि पाप कर्ता, तज्जः = पतित से उत्पन्न, पङ्गु = पादविकल, उन्मत्तक = वात–पित्त कफ संनिपात–ग्रहावेश लक्षणों से व्याप्त, जडः = विकलान्तः करण [जो हिताहित का विचार न कर सके, अन्धः = नेत्रेन्द्रिय विकल, अचिकित्स्य रोगः = यक्ष्मादि रोग ग्रस्त आद्य = से आश्रमान्तरगत पितृ द्वेषी–बधिर मूक का ग्रहण है। उक्तछ क्लीवादि धन के अधिकारी नहीं भर्त्तव्याः-भोजन, आच्छादन एवं दान से पोष्य होते हैं।

विशेषः—

१—यदि इनका पोषण न किया जाय तो पतितत्व दोष लगता है।

२—मनु ने भी इनका अंश ग्रहण नहीं माना—

अनंशौ क्लीब पतितौ जात्यन्ध बधिरौतथा
उन्मत्त जडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ।।

क्लीबादि के पुत्रों का अधिकार—

औरसः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भाग हारिणः
सुता श्चैषां प्रभर्तव्या यावद्वै भर्तृसात्कृताः ।२६।

अन्वयः—

एषां औरसाः क्षेत्रजाः निर्दोषा भाग हारिणः, एषां सुता यावद्वै भर्तृ सात्कृता प्रभर्तव्या।

एषाँ = इन क्लीबादि के, औरसाः—औरस, क्षेत्रज, पुत्र क्लैव्यादि से निर्दोष होने पर भाग हारी हैं, इन क्लीवादि की कन्याओं का भरण उनके विवाह संस्कार पर्यन्त होना चाहिये।

विशेषः—

क्लीब के स्वयं के पुत्र तो नहीं होता पर क्षेत्र में तोस म्भव है

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संसृष्टिनस्तु संसृष्टी—

विभक्त धन पुनर्मिश्रीकृत संसृष्ट कहा जाता है, यह जिसका है वह संसृष्टी है संसृष्टत्व—हर एक से नहीं होता--पिता भाई या चाचा से हो सकता है

कहाभी है—विभक्तोयः पुनः पित्रा भ्रात्राचैकत्र संस्थितः

पितृव्येणाथवा प्रीत्या सतत्संसृष्ट उच्यते ॥

संसृष्टिनः—मृतस्यांशं=संसृष्टि के मृत् के अंश को-विभाग काल में गर्भ अज्ञात हो पश्चात् पुत्र उत्पन्न हो तो संसृष्टी दे दे, पुत्र के अभाव में संसृष्टी ही ग्रहण करे। पत्नी आदि नहीं।

संसृष्टिन स्तु संसृष्टी का अपवाद—

सोदरस्य तु सोदरः

दद्यादप हरेच्चांशं जातस्य चमृतस्य च ॥

संसृष्टिनः संसृष्टी इसकी अनुवृत्ति है, अतः सोदरस्य संसृष्टिनो मृतस्यांशं सोदरः संसृष्टी—संसृष्टानु जातस्य सुतस्य दद्यात् तदभावे अपहरेत्।

सोदर संसृष्टि के मृत अंश को सोदर संसृष्टी संसृष्ट के पश्चात् उत्पन्न पुत्र को दे, उसके अभाव में अपहरण करें।

एवं च सोदरासोदर संसर्गे सोदर संसृष्टिनो धनं सोदर एवं संसृष्टी गृह्णाति न भिन्नोदरः संसृष्टुर्यपीति पूर्वो क्तस्यापवादः। इस प्रकार सोदर असोदर के संसर्ग में सोदर संसृष्टि के धन को सोदर ही संसृष्टी ग्रहण करे, भिन्नो दर नहीं, चाहें वह संसृष्टी क्यों न हो।

क्लीबादि पत्नियों का विशेषाधिकार

अपुत्रा योषित श्चैषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च ।२७॥

अन्वयः—

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एषां अपुत्रा योषितः साधुवृत्तयः भर्तव्यः व्यभिचारिण्यः निवास्या प्रतिकूलास्तथैव च

एषां=क्लीवादि कों की अपुत्रा=पुत्र रहित, योषितः=स्त्रियां=साधुवृत्तयः=सदाचार युक्त हों तो भर्तव्याः=पोषण पाने योग्य हैं। व्यभिचारिण्यःतु=व्यभिचारिणी तो, निर्वास्याः=त्याग ने योग्य हैं प्रतिकूलास्तथैव च=प्रनिकूल व्यभि चारिणी ही परित्यक्त की जांय अन्यथा उनका पोषण होना चाहिये।

स्त्रीधन विभाग—

पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्त मध्यग्न्युपागतम्
आधिवेदनिकाद्यं च स्त्री धनं परिकीर्तितम् ।२८।

अन्वयः—

पितृ मातृ पति भ्रातृ, दत्तं अध्यग्नि उपागतम्, आधिवेदनिकाद्यं च स्त्री धनं परिकीर्तितम् ॥

अर्थः—पिता, माता, पति, भाई द्वारा दत्त, अध्यग्नि उपागतम्=विवाह के समय मामा आदि द्वारा दत्त धन, आधिवेदनिकाद्यं च=अधिवेदन निमित्त, आद्य=रिक्थ, क्रय संविभाग परिग्रह अधिगम प्राप्त, धन स्त्री धन कहा गया है।

विशेषः— स्त्री धन ६ प्रकार का है

अध्यग्न्यध्या वहनिकं दत्तं च प्रीति कर्मणि
भ्रातृ मातृ पितृ प्राप्तं षड्विधं स्त्री धनं स्मृतम् ॥
[मनु०]

१—अध्यग्नि धन—जो विवाह काल में मिला हो

२—अध्यावहनिक—जो धन विदा के समय पिता के घर से मिले

535

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

३—प्रीति दत्त—बधू को प्रसन्नता पूर्वक सास श्वशुर दें

४ - सौदायिक—पति या पिता के घर भाई या माता पिता से लब्ध धन सौदायिक कहलाता है।

बन्धु दत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयक मेवच
अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयुः ।२९।

अन्वय सरलहै—

बन्धुदत्तं=कन्या के मातृ बन्धु पितृ बन्धुओं द्वारा दत्त शुल्क=वर पक्ष से ग्रहण किया शुल्क, अन्वाधेयक=परिणय के पश्चात् दिया गया धन स्त्री धन कहलाता है।

अप्रजसि='दुहिता–दौहित्री-दौहित्र, पुत्र पौत्र रहित, स्त्री के अतीतायाम्=मरजाने पर, बान्धवाः=भर्ता आदि, तत्=धन अवाप्नुयुः=प्राप्त करें।

विवाह भेद से अधिकारी भेद—

अप्रजस्त्री धनं भर्तु र्ब्राह्मादि षुचतुर्ष्वपि
दुहितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामितत् ।३०।

अन्वयः—

अप्रज स्त्री धनं ब्राह्माणा दिषु चतुर्ष्वपि भर्तुं [भवति] तत् शेषेषु पितृ गामि प्रसूता चेत् दुहितृ णाम्

अर्थः--अप्रजस्त्री धनं–पूर्वोक्त सन्तति रहित, ब्राह्मादि षु चतुर्षु=ब्राह्म-दैव आर्ष–प्राजापत्य चारों विवाहों में से भार्यात्व प्राप्त कर परलोक यदि गई है तो भर्तुः=धनका अधिकार पति का हैं [उसके अभाव में प्रत्यासन्न सपिण्डों का] शेषेषु–असुर--गन्धर्व राक्षस पिशाच विवाह द्वारा प्राप्त स्त्री धन [यदि अप्रजा है तो] पितृ गामि

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पिता का है । प्रसूता चेत्--आठों विवाहों में जिस स्त्री के सन्तति है तो दुहितृ णाम्--लड़कियों का अधिकार है । दोहित्री के अभाव में दौहित्र का अधिकार

विशेष:—

लड़कियों में प्रथम अविवाहिता का अधिकार उसके अभाव में विवाहिता का, उनमें भी प्रथम दरिद्रा का अधिकार है [गौतम]

वाग्दत्ता की व्यवस्था—

दत्त्वा कन्या हरन् दण्ड्यो व्ययं दद्याच्च सोदयम्
मृतायाँ दत्त मादद्यात् परिशोध्योभय व्ययम् ।३१।

अन्वय:—

कन्यां दत्वा हरन् दण्ड्य: व्ययं सोदयं दद्यात्
मृतायां दत्तां उभयं परिशोध्य आदद्यात् ।।

कन्यां दत्वा=मैंने तुझे कन्या दी यह वाणी से कहकर धन लेले और हरन्- वर में दोष लगा कर उसे न दे तो दण्ड्य:--दण्ड देने योग्य है । व्ययं सोदयं दद्यात्--वाग्दान के निमित 'वर, द्वारा किया गया व्यय वृद्धि (ब्याज) सहित कन्या पिता दे ।

यदि वाग्दत्ता संस्कार के पूर्व मर जाय तो--

मृतायाम्--मरने पर, दत्तम्=मुँदरी आदि जो वरनें दी हैं उभय व्ययं परिशोध्य=कन्या पिता ने जो लड़की की रक्षा के लिये व्यय कि या है या वर का व्यय हुआ है उसे शोधकर शेष धन का अधिकार वर का है ।

विशेष:--

१--नाना आदि का दिया गया धन, भाई लेंगे पति नहीं
२--सोदर के अभाव में माता, पिता का अधिकार है [बौधायन]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

दुर्भिक्षे धर्म कार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके
गृहीतं स्त्री धनं भर्ता नस्त्रियै दातुमर्हति ।३२।

अन्वयः—

दुर्भिक्षे, धर्म कार्ये व्याधौच संप्रतिरोधके भर्ता गृहीतं स्त्री धनं स्त्रियै दातुं न अर्हति ।।

दुर्भिक्षे = कुटुम्ब के पोषण के समय आवश्यकता में गृहीत धन धर्म कार्ये = धर्मादि आवश्यक कार्य में, व्याधौ = भयंकर रोग में संप्रतिरोध के = कारागार आदि से बचने के प्रसंग में ग्रहीत स्त्री धन स्त्री को न भी दिया जाय तो हानि नहीं ।

वशेषः—

१—पति के अतिरिक्त जीवित स्त्री का धन कोई भी दायाद ग्रहण नहीं कर सकता ।

२—पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धतो भवेत्
न तंभजेरन् दायादा भज मानाः पतन्ति ते ।.....

[मनु० ९।२००]

अधिविन्नास्त्रियै दद्यादाधिवेदनिकं समम्
न दत्तं स्त्री धनं यस्यै दत्ते त्वर्धं प्रकल्पयेत् ।१३।

अन्वयः—

अधिविन्न स्त्रियै आधि वेदनिकं धनं समं दद्यात् यस्य स्त्री धनं न दत्तम् दत्ते तु अर्धं प्रकल्पयेत् ।। अधिविन्ना = अधिविन्ना स्त्री के लिये आधिवेदन के निमित्त धनं समं दद्यात् = जितना अधिवेदनार्थ व्ययीकृत धन है उसे दे । यस्यै = जिस स्त्री के लिये, स्त्री धनं न दत्तम्-